फाइन नं0-71-3002/2/2021-03

84/2022/I/168037/2022

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 20 मई, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत धनराशि के लैप्स हो जाने के कारण लम्बित बिलों का भुगतान वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजट से किये जाने अनुमित के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर के पत्र संख्या–हरोस/2022-23/789, दिनांक 07.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वर्ष 2021-22 में स्वीकृत धनराशि के लैप्स हो जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजट से लम्बित बिलों का भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हृदय रोग संस्थान, कानपुर में सीनियर रेजीडेण्ट के आवास एवं मरीजों को उपचार हेतु आवश्यक उपकरण की अपरिहार्यता एवं आवश्यकता हेतु वर्ष 2021-22 में स्वीकृत धनराशि के लैप्स हो जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त संस्थान के 24-वृहत् निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 2,87,58,490.00 एवं 26-मशीने एवं साज-सज्जा मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 99,88,160.00 अर्थात् कुल रू0 3,87,46,650.00 की वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

1. वर्ष 2021-22 में शासनादेश दिनांक 24.03.2022 द्वारा हार्टलंग मशीन हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 1,01,92,000.00 के सापेक्ष रू0 99,88,160.00 (रू0 निन्यानवे लाख अट्ठासी हजार एक सौ साठ मात्र) के भुगतान की अनुमति।
2. वर्ष 2021-22 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में सीनियर रेजीडेण्ट के आवास हेतु बहुखण्डीय भवन +जी)8) के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 31.03.2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 293.454 लाख के सापेक्ष रू0 2,87,58,490.00 (रू0 दो करोड़ सत्तासी लाख अट्ठावन हजार चार सौ नब्बे मात्र) के भुगतान की अनुमति।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों-

1. शासनादेश संख्या-ई-2067057/71-3002/2/2021-03, दिनांक 24.03.2022 एवं शासनादेश संख्या-73/2022/ई-2074692/71-3099/129/2021-03, दिनांक 31.03.2022 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.upnic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,87,58,490 (रुपये दो करोड़ सतासी लाख अट्ठावन हजार चार सौ नव्वे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031054400 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजी इन्स्टीटयूट मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 99,88,160 (रुपये निन्यानवे लाख अट्ठासी हजार एक सौ साठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031054400 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजी इन्स्टीटयूट मानक मद 26 मशीनें और सज्जा उपकरण और / संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- -यह आदेश वित्त (आय -अनुभाग (व्ययक-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक -30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त -अनुभाग (व्ययक -आय)1 के शासनादेश संख्या : 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक -29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तनुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।